

उत्तर प्रदेश गजट, २० फरवरी, १९६० ई० (फाल्गुन १, १८८१ शके संवत्)

कार्यालय उपमहाप्रबंधक
दूरसंचार, परियोजना

वारणसी
कम सं० २५६

दिनांक ०६-०८-६०

राष्ट्र संचार निगम लिमिटेड

शुद्धि-पत्र

११ फरवरी, १९६० ई०

सं० ५११-एस-टी/३६-ए-१२१६ (एस-टी)-५९-उत्तर प्रदेश गजट (भाग १), दिनांक १ जनवरी, १९६० ई० के पृष्ठ-
संख्या ३२ पर प्रकाशित विज्ञापित संख्या ६७९७ (एस-एम)/३६-ए-१२१६ (एस-एम)-५९, दिनांक २ जनवरी, १९६० ई० में शब्द
"सुपरिटेन्डेंट इंजीनियर" के स्थान पर शब्द "सुपरिटेन्डेंट इंजीनियर" पढ़िये।

आशा से,

हरीश चंद्र चवतेना,

सचिव।

वन विभाग

विविध

१० फरवरी, १९६० ई०

सं० १११५/१४-३३१-५०-उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय का मत है कि इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट सं० १६, १९२७) की धारा २९ की उपधारा (३) के अधीन अपेक्षित जांच तथा अभिलेख करने में इतना अधिक समय लगेगा कि इस बीच राज्य सरकार के अधिकारों को खतरा हो सकता है।

अतएव उक्त उपधारा के प्रतिबंधक द्वारा और उक्त ऐक्ट की धारा ८०-ए के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा (१) द्वारा प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय घोषित करते हैं कि इस प्रकार जांच तथा अभिलेख करने तक उक्त ऐक्ट के अध्याय ४ के उपबन्ध संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर लागू होंगे।

अनुसूची

जिला	नाम सड़क	दूरी मील, कर्जाड़ और फीटों में	विवरण
१-मेरठ सीट	१-मेरठ-बागपत रोड	३ मील से ३१ मील २ फ०	भूमि की सीमा पर्यटकों द्वारा अंकित की गई है।
	२-बागपत-सहारनपुर	१ मील से २४ मील २ फ०	"
	३-बागपत-सीता-शाहदूबा	शून्य से १७ मील २ फ० २६० फीट तक	"
	४-मेरठ-नूआना	२ मील से १७ मील	"
	५-मेरठ-बुलन्दशहर	२ मील से २९ मील तक	"
	६-डी० आर० एम० रोड	४१ मील से ५५ मील	"
	७-जी० डी० रोड	८७० मील से ८७३ मील	"
	८-बागपत-बनसटीकरी	१ मील से ६ मील	"
	९-मुरादनगर रेलवे	शून्य से २ फ० १०६ फीट तक	"
	१०-मोदीनगर-रेलवे फीडर	शून्य से ६४० फीट तक	"
	११-मोदीनगर-रेलवे फीडर	शून्य से ४ फ० १० फीट तक	"
	१२-मेरठ-सबरना रोड	२.४२६ से १२.३.३२०	"
	१३-इरेला-सबरना रोड	०.०.० से ६.४.२६०	"
	१४-बुलन्दशहर-सेनागढ़ रोड	२३ मील से ३१ मील ३ फ० २०० फीट तक	"
	१५-बरीट-चपरीली	१ से ९ मील	"
	१६-मेरठ-बरेली रोड	२३ मील से ३१ मील ३ फ० २०० फीट तक	"
	१७-नेशनल हाईवे नं० २४	२८ मील ६ फ० से ८ फ० तक ३ मील १ फ० से ३ फ० तक	"
	१८-जी० डी० रोड-गाजीपुर से उत्तर प्रदेश पाउण्डर	८७४ मील ५४८ फ० से ८७९ मील २ फ० ७० फीट तक	"
	१९-गाजीपुर-हापुर रोड	१ मील से २१ मील ६ फ० २४९ फीट तक	"
	२०-हापुरगढ़ रोड	१ मील ४८४ फीट से १९ मील ४ फ० ७० फीट तक	"
२-मुजफ्फरनगर	१-डी० आर० एम० रोड	५६ मील से ९१ मील	"
	२-खतोली-जनसेय-पिसर-बिजनौर	२४ मील ६ फ० से २ मील ३१ फीट तक	"
	३-मुजफ्फरनगर-शामली-रानी	२ मील से ३१ मील	"
	४-मुजफ्फरनगर-सहारनपुर	७७ मील से १० मील	"
	५-मुजफ्फरनगर-बिजनौर	७३ मील से २१ मील तक	"
	६-मोरना-रकोराताल	शून्य से ३ मील तक	"
	७-मुजफ्फरनगर-बूजना-री	७ मील तक	"
	८-मुजफ्फरनगर-बागपत-सहारनपुर रोड	२४ मील से ५३ मील ३ फ० तक	"

प्रभागीय वन अधिकारी
उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन)
दुधवा टाइनगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी

जिला

लखीमपुर

पूरी मील, पं० सी० डी० विभाग

विवरण

३६-हरदोई

१-लखनऊ

हरदोई-साहजपुर रोड

मील २८ से मील १३ तक

२-जमान-हरदोई रोड

मील १७ से मील ७२ तक

३-हरदोई-बेनीम रोड

मील १ से मील २४ तक

४-हरदोई-गिहानी रोड

शून्य से मील १७ तक

५-हरदोई-तेली रोड

मील २ से मील १४ तक

६-चकलबन्सी-जोरासहीला रोड

मील २५ से मील २९ तक

७-साहाबाब-गिहानी रोड

शून्य से मील २ तक

सी० सी० ट्रेक

८-इतौली-गो० मज रोड

शून्य से मील ५ तक

९-मुल्लोपुरवा से गुजर मिलस रोड

शून्य से मील ३ तक

४७-खीरी

१-सीतापुर-लख मजुर रोड

मील २१ से मील २८ तक (८ मील)

२-लखीमपुर-साहजपुर रोड

मील १ से मील ५२ तक (५२ मील)

३-लखीमपुर-निधाला रोड

मील १ से २२ (२२ मील)

४-निधाला-बोलेगुम रोड

मील १ से १२ (फ० १ से २)

५-बलिया-त्रिभुलिया-खूजूरिया रोड

मील १ से २३

६-ए० मार० से लोक गोला मोहम्मदी रोड
एल० एल० रोड

मील ३० फ० ३ से मील ३० फ० ७ तक

७-ए० मार० से लोक गोला मोहम्मदी रोड
एल० एल० रोड

मील ३० फ० ८ से मील ३१ फ० ५ तक

८-ए० मार० से लोक गोला मोहम्मदी रोड
एल० एल० रोड

मील ३१ फ० ६ से मील ३२ फ० ६ तक

९-ए० मार० से लोक गोला मोहम्मदी रोड
एल० एल० रोड

मील ३२ से मील ३३ फ० ६ तक

१०-लखीमपुर-एरा-इलाहाबाद रोड

मील २ (फ० ४ से मील ३०)

भूमि की सीमा
पत्थरों द्वारा अंकित
की गई है।प्रमाणित
किया गया है।प्रभागीय वन अधिकारी
उत्तर खीरी वन प्रभाग/
उप निदेशक (बफर जोन)
दुधवा टाइगर रिजर्व
लखीमपुर-खीरी